

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1155 व 1156/2010/जयपुर

मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेस प्रा.लि, जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, जयपुर

.....प्रत्यर्थी.

### एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री आर.एन गर्ग

अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 25.05.2017

### निर्णय

उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 41 व 43/अपील्स-1/आरएसटी/जयपुर/वि.वृ.राज/2001-02 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 84 के अन्तर्गत पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 31.03.2001 पारित करते हुए क्रमशः रु. 26,520/ व रु. 59,052/-की शास्ति आरोपित की हैं, को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाहनों की जांच करने पर परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, किन्तु उनके साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए अपूर्ण पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्तियों का आरोपण किया। उक्त प्रकार से आरोपित शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने आदेश दिनांक 29.04.2002 पारित कर सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से राजस्थान कर बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा आदेश दिनांक 19.06.2003 पारित कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.04.2002 की पुष्टि करते हुए विभाग की अपीलें अस्वीकार कर दी गई। कर



बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 19.06.2003 के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर में एस.बी.सिविल (एस.टी) संख्या 456/2004 पेश की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिवीजन नम्बर 555/2003 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी एवं अन्य (जिसमें 37 सिविल निगरानियाँ सम्मिलित थी, जिनमें हस्तगत प्रकरण एनेक्चर 'ए' के क्रम संख्या 25 पर अंकित है) का दिनांक 05.07.2007 को निस्तारण करते हुए में पूर्व में पारित सभी अपील आदेशों को अपास्त करते प्रकरण को निष्पादित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। जिसकी पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण 31.03.2010 को करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपील अस्वीकार कर दी। अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर ये अपीलें प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग माल के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न थे। केवल मात्र घोषणा पत्र एस टी 18ए अपूर्ण पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत क्रमशः शास्ति रु 26,520/- व. रु. 59,052/- आरोपित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि नोटिस की तामीली सही ढंग से नहीं करवायी गयी है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने को निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत किये गये, जो पत्रावलियों के पेज संख्या 17 एवं 22 उपलब्ध हैं, जिनमें माल की कीमत, बिल एवं बिल्टी नम्बर एवं दिनांक एवं वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर का अंकन किया हुआ नहीं है, जो अपूर्ण हैं। वक्त जांच रिक्त घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत किये जाने पर अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना विधिक है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स महाराणा टॉकीज, भीलवाडा (2004) 19 एस टी सी 237 के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार राजस्व अपराधों के मामलों में विधिक





प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति आरोपित हेतु व्यवहारी की करापवंचन की मंशा को प्रमाणित करना अनिवार्य नहीं माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि धारा 78(5) के प्रकरणों में दुराशय (mens rea) आवश्यक तत्व नहीं है। अधिनियम की धारा 78(2)(ए) निम्न प्रकार है :-


"Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties" bills of sale or despatch memos and prescribed declaration forms."

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग प्रस्तुत किए गए अपूर्ण घोषणा पत्र एस टी 18 के कारण अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्तियों आरोपित की है, जो उचित है।

अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में उपरोक्त तथ्यों के साथ विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों एवं प्रकरण के तथ्यों का समग्र रूप से विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है, जो पूर्णतः विधिक एवं उचित है।

फलतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई उपरोक्त दोनों अपीलें अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(खेमराज खेसरो)  
अध्यक्ष